

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नारंगी बनाम संतोष

तारीख हुकम

13/2025

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

12/05/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | रेस्पो. संख्या 2 ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया | पत्रावली शेष रेस्पो. एवं अपीलार्थी की मौखिक/लिखित बहस हेतु दिनांक 18/05/2026 को पेश हो।

18/05/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के मूल वाद संख्या 319/61/2001 में पारित निर्णय दिनांक 17/11/2025 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17/11/2025 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज करते हुये अन्तिम निस्तारण हो चुका है ऐसे में यह अपील अब सारहीन हो गयी है एवं यह अपील चलने योग्य नहीं रह गयी है | अतः अपील अपीलान्त सारहीन हो जाने से खारिज फरमाई जावे |

हमने अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनों के परिपेक्ष में अपील पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय के मूल वाद में पारित निर्णय दिनांक 17/11/2025 का अवलोकन किया गया | जिससे अपीलार्थी के कथनों की पुष्टि होती है कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अदम पैरवी अदम हाजरी में अन्तिम निस्तारण हो गया है जिससे यह अपील अब स्पष्ट रूप से सारहीन हो गयी है | अतः अपील अपीलार्थी सारहीन हो जाने से खारिज की जाती है | तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

